विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-11/19

श्री जलाल अहमद पिता मो0 हुसैन, — आवेदक
वार्ड क्र0 10, म0क्र0 94,
बैरी मैदान, बुरहानपुर (म0प्र0) – 450331

विरूद्ध

कार्यपालन यंत्री (शहर) संभाग, — अनावेदक
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
बुरहानपुर (म.प्र.)

आदेश

(दिनांक 17.01.2020 को पारित)

01. आवेदक श्री जलाल अहमद पिता मो0 हुसैन, वार्ड क्र0 10, म0क्र0 94, बैरी मैदान, बुरहानपुर (म0प्र0) ने अपने लिखित अभ्यावेदन दिनांक निरंक से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इंदौर एवं उज्जैन क्षेत्र के प्रकरण क्रमांक WO433219 में दिनांक 29.07.2019 को पारित आदेश से पीड़ित एवं दुखी होकर इस आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की है। यह अपील दिनांक 26.09.2019 को कार्यालय में प्राप्त होकर प्रकरण क्रमांक एल00–11/2019 पर दर्ज की गई है।

02. आवेदक अपीलार्थी श्री जलाल अहमद पिता मो0 हुसैन, वार्ड क्र0 10, म0क्र0 94, बैरी मैदान, बुरहानपुर (म0प्र0) ने अपने लिखित अभ्यावेदन से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इन्दौर उज्जैन क्षेत्र, जिन्हें आगे फोरम नाम से संबोधित किया गया है, द्वारा प्रकरण क्रमांक WO 433219 श्री जलाल अहमद पिता मो0 हुसैन विरूद्ध कार्यपालन यंत्री (शहर) संभाग, म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, बुरहानपुर (म.प्र.) में पारित आदेश दिनांक

29.07.2019 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की है। अपनी अपील में आवेदक ने वर्तमान अपील स्वीकार करते हुए माननीय अधीनस्थ फोरम इंदौर द्वारा प्रकरण क्रमांक 4332/19 में पारित आदेश दिनांक 29.07.2019 को निरस्त किया जाकर अपीलार्थी के माह मई 2018 के बिल को भी 8.35 म0प्र0 विद्युत प्रदाय संहिता 2013 के प्रावधान अनुसार रिवाईज किए जाने तथा माई मई 2018 से माह अक्टूबर 2018 के बिलों में उक्त अत्याधिक खपत की राशि पर जोड़ी गई अधिभार एवं सरचार्ज निरस्त करने एवं उक्त अवधि एवं वर्ष 2019 में अतिरिक्त सुरक्षा निधि राशि निरस्त कर उक्त राशि का भी समायोजन अपीलार्थी के मासिक बिलों में किए जाने के आदेश प्रदान करने संबंधी राहत की मांग की है।

आवेदक ने अपनी अपील के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न किए हैं :–

(1) विस्तृत अपील आवेदन पत्र।
(2) पुराने 'जीनस' मेक, 3x10–40 एम्पीयर नं0 1032315 की एलटीएमटी प्रयोगशाला बड़वाह में की गई टैस्टिंग की रिपोर्ट की प्रति।
(3) विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इंदौर एवं उज्जैन क्षेत्र के समक्ष प्रस्तुत जून, 2018 में बिल संशोधित करने संबंधी शिकायती आवेदन प्रपत्र की प्रति।
(4) फोरम के आदेश दिनांक 14.02.2019 की प्रति।
(5) मई, 2018 एवं जुलाई 2018 से अक्टोबर 2018 के बिल संशोधित किए जाने संबंधी फोरम को प्रस्तुत शिकायती आवेदन पत्र।
(6) मई 2018, जून 2018, जुलाई 2018 एवं सितम्बर 2018 एवं अक्टूबर 2018 के बिलों की छायाप्रतियां।
(7) फोरम के समक्ष 20.06.2019 की पेशी में प्रस्तुत अनावेदक के जवाबदावे की प्रति।
(8) फोरम के आदेश दिनांक 29.07.2019 की प्रति।

03. आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील के अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार हैः–

(i) अपीलार्थी/आवेदक के नाम से विद्युत कनेक्शन क्रमांक 70–11–3464905–37800680000 पावरलुम हेतु प्रदान किया गया है, जिसका मीटर खराब होकर तेज गति से चलने के कारण दिनांक 04.07.2018 को बदला गया था, जिसकी दिनांक 02.02.2019 को प्रयोग 'शाला में जांच कराए जाने पर उक्त मीटर 05 यूनिट चलाए जाने पर 14.3 यूनिट चलना पाया गया था। उक्त जांच रिपोर्ट की प्रति संलग्न है।

(ii) अपीलार्थी/आवेदक ने उपरोक्त कारणों से माह जून 2018 के बिल को रिवाईज किए जाने हेतु शिकायत प्रकरण क्रमांक 4225/2018 माननीय अधीनस्थ फोरम के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, जो स्वीकार की जाकर दिनांक 14.02.2019 को आदेश पारित किए जाकर माह जून 2018 के बिल को रिवाईज किए जाने के माननीय अधीनस्थ फोरम इंदौर द्वारा आदेश पारित किए गए थे।

(iii) अब चूंकि आवेदक के पास, उक्त शिकायत प्रस्तुत करते समय माह मई 2018 का बिल उपलब्ध नहीं था इस कारण अपीलार्थी/आवेदक ने उक्त बिल प्राप्त होने के पश्चात एवं माननीय अधीनस्थ फोरम इंदौर द्वारा दिनांक 14.02.2019 को आदेश पारित होने के पश्चात् पुनः एक अन्य शिकायत आवेदन पत्र माननीय अधीनस्थ फोरम इंदौर के समक्ष प्रस्तुत करते हुए माह मई 2018 के बिल में दर्शित अत्याधिक 1956 यूनिट को विद्युत प्रदाय संहिता की कंडिका क्र0 8.35 की मंशा के मुताबिक रिवाईज कराए जाने बाबत

एवं माह जुलाई 2018 से लगायत माह अक्टूबर 2018 के बिल को नए मीटर में दर्ज सही विद्युत खपतानुसार रिवाईज कराए जाने तथा माह जून 2018 में दर्ज हुई अत्याधिक विद्युत खपत की राशि पर जोड़ी गई पैनेल्टी एवं सरचार्ज की राशि को निरस्त कराए जाने बाबत् प्रस्तुत किया गया था।

(iv) उपरोक्त शिकायत आवेदन पत्र का अनावेदक द्वारा दिनांक 20.06.2019 को जवाब प्रस्तुत किया जाकर उपरोक्त समस्त बिल को सही एवं नियमानुसार जारी किए जाने का आधार बताते हुए उक्त बिलों में किसी प्रकार का कोई संशोधन किया जाना संभव न होना तथा शिकायत प्रकरण क्रमांक 4225/2018 का हवाला देते हुए अपीलार्थी आवेदक के द्वारा प्रस्तुत वर्तमान शिकायत आवेदन पत्र को निरस्त किए जाने का उल्लेख किया गया था।

(v) उपरोक्त आधारों पर माननीय अधीनस्थ फोरम इंदौर के द्वारा दिनांक 29.07.2019 को निम्नानुसार आदेश पारित किए गए हैंः–

अभिमत में किए गए उल्लेख अनुसार पूर्व में प्रस्तुत परिवार के तहत विवेचना कर परिवादी के प्रकरण क्रमांक 4225/2018 में माह जून 2018 की खपत 4187 यूनिट को संशोधित करने का फोरम के द्वारा आदेश दिनांक 14.02.2019 को पारित किया जा चुका है उपरोक्त आदेश फोरम के द्वारा जारी करते समय परिवादी के द्वारा जो वर्तमान में बिलिंग संबंधी पुनरीक्षण चाहा गया है को पूर्व में ही अवलोकन कर लिया गया था। अतः फोरम में विपक्ष के द्वारा कथन एवं दस्तावेज सहित जानकारी प्रस्तुत कर दिए जाने व आदेश पारित कर दिए जाने के उपरांत समान प्रकरण के पुनरावलोकन का अधिकार फोरम को नहीं है यदि परिवादी फोरम के निर्णय से असंतुष्ट है तो परिवादी के द्वारा लोकपाल भोपाल के समक्ष प्रकरण दर्ज कराया जा सकता है। अतः प्रकरण को यथास्थिति में समाप्त किया जाता है।

अपील के आधार :–

01. माननीय अधीनस्थ फोरम इंदौर ने वर्तमान प्रकरण के तथ्यात्मक एवं कानूनी बिन्दुओं को नहीं समझ कर गंभीर भूल की है।

02. माननीय अधीनस्थ फोरम इंदौर ने वर्तमान प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेज एवं उल्लेखित तथ्यों का गंभीरतापूर्वक एवं सुक्ष्मतापूवर्क ध्यान न देकर गंभीर भूल की है।

03. वर्तमान प्रकरण का मुख्य बिन्दु यह है कि अपीलार्थी आवेदक ने वर्तमान शिकायत आवेदन पत्र माह मई 2018 के बिल को मीटर फास्ट चलने के कारण विद्युत प्रदाय संहिता 8.35 की मंशा के मुताबिक मीटर जांच रिपोर्ट दिनांक 02.02.19 के आधार पर रिवाईज किए जाने का निवेदन किया गया था।

इसके अतिरिक्त माह जुलाई 2018 से माह अक्टूबर 2018 के विद्युत बिलों को नया मीटर स्थापित दिनांक 04.07.18 के आधार पर उक्त मीटर में दर्ज हो रही विद्युत खपत अनुसार बिल जारी कराए जाने तथा उक्त विद्युत बिलों में माह जून 2018 में दर्ज हुई अत्याधिक विद्युत खपत की बिल राशि पर जोड़ी गई पैनल्टी एवं अधिभार की राशि को निरस्त कराए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया था।

उक्त सहायताओं का उल्लेख अपीलार्थी/आवेदक द्वारा पूर्व शिकायत आवेदन पत्र जिसका प्रकरण क्रमांक 4225/2018 में पारित आदेश दिनांक 14.02.19 की बाधा न लाते हुए गुणदोष के आधार पर माननीय अधीनस्थ फोरम इंदौर को निराकरण किया जाना चाहिए था, इस तथ्य को माननीय अधीनस्थ फोरम इंदौर ने नहीं समझकर गंभीर भूल की है।

अपीलार्थी/आवेदक का इस अपील के माध्यम से माननीय लोकपाल महोदय से विनम्र निवेदन है कि जब विवादित मीटर क्रमांक 1032315 दिनांक 02.02.2019 को प्रयोगशाला में जांच उपरांत 05 यूनिट चलाए जाने पर उक्त मीटर 14.3 यूनिट चलना पाया गया है तो निश्चित रूप से माह मई 2018 के बिल को भी विद्युत प्रदाय संहिता की कंडिका क्र0 8.35 की मंशा के मुताबिक रिवाईज कराए जाने का अपीलार्थी/आवेदक अपना अधिकार सुरक्षित रखता है।

इतना ही नहीं जब विवादित मीटर दिनांक 04.07.2018 को परिवर्तित किया जा चुका है तो प्रति अपीलार्थी की यह विधिक जिम्मेंदारी बनती है कि वह अपीलार्थी/आवेदक की ओर नए मीटर में दर्ज विद्युत खपत के आधार पर मासिक बिल जारी करें और यदि किसी कारणवश उक्त अवधि में एवरेज बिल जारी किए गए हैं तो उक्त एवरेज यूनिट को विद्युत खपत में से कम करके सही बिल जारी किया जाना चाहिए, तथा जब माह जून 2018 के बिल को गलत एवं अत्याधिक यूनिट का मानते हुए निरस्त किया गया है तो निश्चित रूप से उक्त अत्याधिक यूनिट की बिल राशि के साथ–साथ उक्त राशि पर जोड़ी गई अधिभार एवं पैनेल्टी की राशि को भी निरस्त किया जाना चाहिए।

इस संबंध में अपीलार्थी निम्नलिखित, तालिका एवं विद्युत बिल की प्रतियां संलग्न कर प्रस्तुत कर रहा है :–

क्र0	**माह**	**विद्युत खपत**	**औसत यूनिट**	**बिल राशि**	**पिछला बकाया राशि**
1.	मई 2018	1956		7153/–रू0	1804/– रू0
2.	जून 2018	4187		159951/–रू0	9066/– रू0
3.	जुलाई 2018	962		3178/–रू0	28996/– रू0
4.	सितंबर 2018	1216		5243/–रू0	34667/– रू0
5.	अक्टूबर 2018	1649		6935/–रू0	42120/– रू0

इतना ही नहीं अपीलार्थी माननीय लोकपाल महोदय से यह भी विनम्र निवेदन करता है कि प्रतिअपीलार्थी द्वारा उपरोक्त अत्याधिक विद्युत खपत (मई जून 2018) को आधार मानते हुए वर्ष 2018 एवं वर्ष 2019 की अवधि में अतिरिक्त सुरक्षा निधि राशि भी अपीलार्थी के मासिक बिलों में

प्राप्त कर चुका है जो रिवाईज किए जाने योग्य होने से अतिरिक्त सुरक्षा निधि आगामी बिलों में समायोजित कराने के अपने अधिकार को सुरक्षित रखता है।
अपीलार्थी/आवेदक अन्य कानूनी बिन्दु अपने अंतिम तर्क के समय प्रस्तुत करने के अपने अधिकार को सुरक्षित रखता है।

अपीलार्थी/आवेदक इस अपील के साथ अधीनस्थ फोरम के आदेश की प्रति भी संलग्न कर रहा है।

अतः उपरोक्त समस्त आधारों पर अपीलार्थी की वर्तमान अपील स्वीकार करते हुए माननीय अधीनस्थ फोरम इंदौर द्वारा प्रकरण क्रमांक 4332/19 में पारित आदेश दिनांक 29.07.2019 को निरस्त किया जाकर अपीलार्थी के माह मई 2018 के बिल को भी 8.35 म0प्र0 विद्युत प्रदाय संहिता 2013 के प्रावधान अनुसार रिवाईज किए जाने तथा माई मई 2018 से माह अक्टूबर 2018 के बिलों में उक्त अत्याधिक खपत की राशि पर जोड़ी गई अधिभार एवं सरचार्ज निरस्त करने एवं उक्त अवधि एवं वर्ष 2019 में अतिरिक्त सुरक्षा निधि राशि निरस्त कर उक्त राशि का भी समायोजन अपीलार्थी के मासिक बिलों में किए जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा की जावे।

04. अपीलार्थी का अभ्यावेदन ग्रहण कर दिनांक 23.10.2019 को प्रारंभिक सुनवाई आयोजित की गई, जिसमें आवेदक की ओर से आवेदक अधिवक्ता श्री बी.एच. अंसारी तथा अनावेदक की ओर से श्री आमेर कुरेशी, कार्यपालन यंत्री, शहर संभाग, बुरहानपुर उपस्थित।

अनावेदक द्वारा सुनवाई में आवेदक की अपील पर अपना लिखित प्रत्युत्तर दिनांक 23.10.2019 प्रस्तुत किया, जो निम्नानुसार है :–

1. यह कि, आवेदक का माननीय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इंदौर को इस आशय से आरोपित करना गलत है कि, प्रकरण के तथ्य एवं विधिक बिन्दुओं को गम्भीरतापूर्वक अवलोकन नहीं करके गंभीर भूल की है, अपितु माननीय फोरम के द्वारा विधिक प्रावधानों के आधार पर आदेश पारित किया गया है।

2. यह कि, अपीलार्थी का माननीय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इंदौर को इस आशय से आरोपित करना गलत है कि, आवेदक के प्रकरण के तथ्यों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों को गंभीरतापूर्वक एवं सूक्ष्मतापूवर्क अवलोकन नहीं करके गंभीर भूल की है अपितु माननीय फोरम के द्वारा विधिक प्रावधानों के आधार पर आदेश पारित किया गया है।

3. कंडिका क्र0 03 के संबंध में लेख है कि, अपीलार्थी द्वारा माह मई–2018 के विद्युत देयक को दिनांक 02.02.2019 को मीटर परीक्षण के आधार पर विद्युत प्रदाय संहिता की धारा 8.35 के तहत पुनरीक्षित/रिवाईज करने एवं माह जुलाई 2018 से माह अक्टूबर 2018 के विद्युत देयकों को नए मीटर में दर्ज खपत के अनुसार बिल जारी किए जाने एवं माह जून 2018 में दर्ज खपत पर जारी विद्युत देयकों की पैनल्टी एवं अधिभार की राशि को निरस्त करने हेतु माननीय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इंदौर के समक्ष प्रकरण क्रमांक 4332/19 दायर किया गया था। माननीय फोरम के द्वारा उपरोक्त प्रकरण में दिनांक 29.07.2019 को आदेश पारित किया गया कि, किसी प्रकरण में पूर्व में आदेश पारित करने के उपरांत समान प्रकरण के पुनराअवलोकन का अधिकार प्राप्त नहीं है। माननीय फोरम द्वारा प्राप्त क्षैत्राधिकार के आधार पर आदेश पारित किया गया है।

4. कंडिका क्रमांक 4 के संबंध में लेख है कि माननीय विद्युत उपभोक्ता फोरम, इन्दौर के समक्ष अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण क्र0 4225/18 में सुनवाई के दौरान प्रतिअपीलार्थी मीटर जांच की परिक्षण रिपोर्ट एवं प्रकरण से संबंधित अन्य दस्तावेज साक्ष्य हेतु माननीय फोरम के समक्ष प्रस्तुत किए गए। माननीय फोरम द्वारा उभयपक्षों की सुनवाई के उपरांत दिनांक 14.02.2019 को पारित आदेश का परिपालन प्रतिअपीलार्थी द्वारा माह जून 2018 के विद्युत देयक को पुनरीक्षित किया जाकर अपीलार्थी के माह मार्च 2019 विद्युत देयक में कुल राशि 11316/– का समायोजन कर दिया गया हैं। श्रीमानजी की ओर अवलोकन हेतु मार्च 2019 के विद्युत देयक की प्रति संलग्न हैं।

   अपीलार्थी को माह मई 2018 में नियमानुसार विद्युत देयक जारी किया गया है। साथ ही अपीलार्थी को माह जून 2018 के विद्युत देयक को माह मार्च 2019 में सुधार किए जाने के कारण माह जून 2018 से मार्च 2019 के विद्युत देयकों में आरोपित सरचार्ज की राशि रू0 864/– का समायोजन एवं माह जून 2018 में अधिक खपत के आधार पर निर्धारित सुरक्षा निधि राशि 4700/– रू0 का समायोजन आगामी माह के विद्युत देयक में किए जाने की कार्यवाही की जा रही है। बिल पुनरीक्षण रजिस्टर की छायाप्रति संलग्न हैं।

   अपीलार्थी को माह जुलाई 2018 से माह अक्टूबर 2018 तक नए मीटर में दर्ज की खपत की आधार पर नियमानुसार विद्युत जारी किए गए हैं। जिसे पुनरीक्षित नहीं किया जा सकता है।

5. कण्डिका क्रमांक 05 एवं 06 स्वीकार हैं।

माननीय महोदय से निवेदन है कि, माननीय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इंदौर द्वारा प्रकरण क्रमांक 4225/18 में पारित आदेश का पालन किया जा चुका है एवं अपीलार्थी द्वारा माह मई 2018 का विद्युत देयक एवं माह जुलाई 2018 से अक्टूबर 2018 के विद्युत देयक पुनरीक्षित किए जाने के संबंध में श्रीमान के समक्ष आवेदक प्रस्तुत किया गया है। महोदय, अपीलार्थी माह मई 2018 में मीटर में दर्ज खपत के आधार पर एवं माह जुलाई 2018 से अक्टूबर 2018 के विद्युत देयक नए मीटर में दर्ज खपत के आधार पर ही जारी है। जो कि नियमानुसार होकर वसूली योग्य हैं।

अतः माननीय महोदय से निवेदन है कि उपरोक्त प्रकरण सव्यय निरस्त करने का कष्ट करें।

अनावेदक के निवेदन पर कि वे माह नवम्बर के प्रथम सप्ताह में विभागीय प्रशिक्षण पर रहेंगे अतः सुनवाई की दिनांक तद्नुसार नियत की जाए। अनावेदक के निवेदन को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई दिनांक 13.11.2019 नियत की गई।

05. सुनवाई दिनांक 13.11.2019 को आवेदक की ओर से आवेदक अधिवक्ता श्री बी.एच. अंसारी तथा अनावेदक की ओर से श्री आमेर कुरेशी, कार्यपालन यंत्री, शहर संभाग, बुरहानपुर उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता की ओर से लिखित तर्क प्रस्तुत किए गए। आवेदक अधिवक्ता की ओर से निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर वर्तमान अपील को स्वीकार किए जाने हेतु लिखित तर्क प्रस्तुत किए गए।

1. यह स्वीकृत तथ्य है कि उक्त कनेक्शन का मीटर तेज गति से चल रहा था जिसे प्रति अपीलार्थी द्वारा दिनांक 2.2.2019 को सक्षम प्रयोगशाला में जांच कराया गया है, जांच उपरांत उक्त मीटर ''5 युनिट जलाने पर 14.4 युनिट चलता पाया गया है'' के आधार पर निश्चिम रूप से माह मई 2018 का बिल जो कि 1956 युनिट का जारी किया गया था वह भी विद्युत प्रदाय संहिता की कंडिका क्र0 8.35 की मंशा के मुताबिक न केवल रिवाईज किए जाने योग्य है बल्कि उक्त अवधि के पश्चात् से लेकर आज दिनांक तक उक्त अत्यधिक युनिट की राशि पर अधिरोपित पेनल्टी एवं सरचार्ज की राशि भी निरस्त किए जाने योग्य है।

2. अपीलार्थी/आवेदक माननीय लोकपाल महोदय के समक्ष यह बात स्पष्ट करना आवश्यक समझता है कि अपीलार्थी/आवेदक ने माननीय अधीनस्थ फोरम के समक्ष पूर्व शिकायत प्र0क्र0–4225/2018 में माह मई, 2018 का बिल उपलब्ध न होने के कारण उक्त बिल को छोड़कर माह, जून 2018 के बिल को ही रिवाईज किए जाने हेतु प्रस्तुत की थी, जिसमें

माननीय अधीनस्थ फोरम ने दिनांक 14.02.2019 को आदेश पारित करते हुए उक्त बिल को रिवाईज किए जाने हेतु आदेश पारित किया है।

3. अब यदि आवेदक/अपीलार्थी ने अपनी नई शिकायत प्रस्तुत करते हुए माह मई, 2018 के बिल में दर्ज हुई अत्यधिक विद्युत खपत को रिवाईज किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है तो निश्चित रूप से माननीय अधीनस्थ फोरम को गुणदोष के आधार पर उक्त शिकायत का विधिवत रूप से निराकरण किया जाना चाहिए था किन्तु माननीय अधीनस्थ फोरम ने पूर्व शिकायत प्र0क्र0–4225/2018 में पारित आदेश दिनांक 14.02.2019 का जो हवाला देते हुए शिकायत प्र0क्र0–4332/2019 को दिनांक 29.07.2019 को निरस्त किया है वह विधि एवं नियम के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

4. आवेदक/अपीलार्थी माननीय लोकपाल महोदय से यह भी निवेदन करता है कि जब प्रति अपीलार्थी ने माह जून, 2018 के बिल में अत्यधिक दर्ज विद्युत खपत को मीटर जांच रिपोर्ट दिनांक 2.2.2019 के आधार पर रिवाईज किया है तो निश्चित रूप से उसे माह मई, 2018 के बिल में दर्ज विद्युत खपत 1956 युनिट को भी रिवाईज किया जाना चाहिए और उक्त अवधि के पश्चात से आज दिनांक तक उक्त अत्यधिक विद्युत खपत की राशि जोड़ी गई अधिभार एवं सरचार्ज की राशि भी निरस्त किया जाना चाहिए।

5. अतः माननीय लोकपाल महोदय से यह भी निवेदन है कि उपरोक्त समस्त आधारों पर अपीलार्थी/आवेदक की वर्तमान अपील स्वीकार की जाकर माननीय अधीनस्थ फोरम के शिकायत प्रकरण क्रमांक 4332/2019 में पारित आदेश दिनांक 29.07.2019 को निरस्त करते हुए अपीलार्थी/आवेदक की उक्त शिकायत स्वीकार की जाकर उक्त शिकायत में उल्लेखित समस्त सहायताएं अपीलार्थी/आवेदक को दिलाए जाने हेतु आदेश पारित करने की कृपा की जावे।

उभयपक्षों द्वारा अपना पक्ष रखने के लिए अतिरिक्त समय की मांग कर निवेदन किया गया कि प्रकरण में अगली सुनवाई दिसम्बर माह में रखी जाए। तद्नुसार प्रकरण में अगली सुनवाई दिनांक 12.12.2019 का रखी गई।

06. दिनांक 12.12.2019 की सुनवाई में आवेदक की ओर से आवेदक अधिवक्ता श्री बी.एच. अंसारी तथा अनावेदक की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि श्री नितिन यादव, जूनियर इंजीनियर, बुरहानपुर उपस्थित। अनावेदक प्रतिनिधि द्वारा आवेदक अधिवक्ता के दिनांक 23.10.2019 की सुनवाई में प्रस्तुत लिखित तर्क पर बिन्दुवार प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया जो निम्नानुसार है :–

1. अपीलार्थी श्री जलाल अहमद मो0 हुसैन कंडिका क्रमांक 1 लेख आंशिक स्वीकार है कि, उक्त मीटर की जांच प्रयोगशाला में करने पर 5 यूनिट चलाने पर 14.3 यूनिट चलता पाया गया हैं। इस आधार पर अपीलार्थी के द्वारा माह मई 2018 में मीटर में दर्ज खपत 1956 यूनिट को पुनरीक्षित कराए जाने की मांग की जा रही हैं। महोदय इस संबंध में अपीलार्थी के उक्त विद्युत संयोग के बिलिंग पासबुक का अवलोकन करने पर पाया गया कि पूर्व के माह अगस्त 2016 में मीटर खपत 1987 यूनिट, नंबबर 2015 में मीटर खपत 1451 यूनिट एवं सितम्बर 2015 में मीटर खपत 1466 यूनिट दर्ज की गई है। इन माह के मीटर में दर्ज खपतों के आधार पर मई 2018 में दर्ज मीटर खपत को सही माना जा सकता हैं और अपीलार्थी को माह मई 2018 में मीटर में दर्ज खपत 1956 यूनिट के आधार पर विद्युत देयक जारी किए गए हैं, जो कि भुगतान किए जाने योग्य हैं।

2. अपीलार्थी की कंडिका 02 लेख अस्वीकार हैं। अपीलार्थी के उक्त विद्युत संयोग का प्रतिमाह विद्युत देयक जारी किए जाते हैं और विद्युत देयक पर स्पष्ट मीटर खपत यूनिट का लेख किया जाता है। अपीलार्थी के द्वारा यह कहना गलत हैं कि माननीय फोरम के समक्ष दर्ज कराए गए प्रकरण क्रमांक 4225/18 के समय माह गई 2018 के बिल की उपलब्धता नहीं थी, यह सिफ बनावटी, वास्तविक तथ्य को छुपाने हेतु माननीय महोदय के समक्ष ऐसे कथन रखे गए हैं। यदि अपीलार्थी के पास पूर्व के माह अप्रैल 2018 एवं आगामी माह जून 2018 का विद्युत देयक हैं तो आसानी से मीटर में दर्ज यूनिट के आधार पर माह मई 2018 की खपत यूनिट का पता लगाया जा सकता है। उक्त प्रकरण में माननीय फोरम के द्वारा पूर्ण अवलोकन कर उभयपक्षों को सुनने के पश्चात, विधि एवं नियम के अनुसार ही आदेश पारित किए गए हैं।

3. अपीलार्थी कण्डिका क्रमांक 03, लेख के संबंध में मई 2018 में उक्त विद्युत संयोग के मीटर पर दर्ज खपत 1956 यूनिट आना संभव हैं, क्योंकि अपीलार्थी के बिलिंग पासबुक का अवलोकन करने पर पाया गया कि, पूर्व में माह अगस्त 16 में मीटर खपत 1987 यूनिट नवंबर 2015 में मीटर खपत 1451 यूनिट एवं सितंबर 2015 में मीटर खपत 1466 यूनिट दर्ज की गई हैं, जो कि मई 2018 में दर्ज खपत यूनिट के लगभग सामान हैं। माननीय फोरम के समक्ष आवेदक के द्वारा दर्ज कराए गए प्रकरण क्रमांक 4225/19, पारित आदेश दिनांक 14.02.19 एवं प्रकरण क्रमांक 4332/19 पारित आदेश दिनांक 29.07.19 में फोरम महोदय ने पूर्ण अवलोकन कर उभयपक्षों को सुनने के पश्चात विधि एवं नियम के आधार पर आदेश पारित किए गए हैं।

4. अपीलार्थी के उक्त विद्युत संयोग पर माह जून 2018 में मीटर खपत 4187 यूनिट दर्ज की गई थी, जो कि पूर्व माह की दर्ज मीटर खपतों का लगभग दोगुनी–तीनगुनी थी। अपीलार्थी के मीटर की जांच रिपोर्ट के आधार पर माह जून 2018 नियमानुसार पुनरीक्षित किया जा चुका है। लेकिन अपीलार्थी के द्वारा मई 2019 के विद्युत खपत 1956 यूनिट को पुनरीक्षित कराए जाने एवं उक्त माह के खपत के आधार पर अधिभार एवं सरचार्ज की राशि निरस्त करने की मांग की जा रही हैं। इसके संबंध में प्रतिअपीलार्थी की तर्क यह हैं कि, अपीलार्थी के विद्युत संयोग पर माह अगस्त 16 मीटर खपत 1987 यूनिट, माह नवंबर 2015 में मीटर खपत 1451 यूनिट एवं माह सितम्बर 2015 में मीटर खपत 1466 यूनिट दर्ज की गई थी। इन पूर्व माह में दर्ज खपत के आधार पर मई 2018 में दर्ज खपत 1956 यूनिट को वास्तविक और सही माना जा सकता हैं, जो कि भुगतान किए जाने योग्य हैं। अवलोकन हेतु अपीलार्थी के उक्त विद्युत संयोग के बिलिंग पासबुक की छायाप्रति संलग्न हैं।

5. अतः माननीय लोकपाल महोदय से विनम्र निवेदन है कि, उपरोक्त कथन प्रतिउत्तर एवं संबंधित दस्तावेज के आधार पर अपीलार्थी की अपील सव्यय निरस्त करने का कष्ट करें।

उभयपक्षों द्वारा यह कथन किए जाने की प्रकरण में उनके द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है तथा प्रकरण में आगे और कोई कथन नहीं करना है, प्रकरण में सुनवाई समाप्त कर आदेश हेतु सुरक्षित किया गया।

07. प्रकरण में प्रस्तुत अपील एवं सुनवाई में उभयपक्षों द्वारा किए गए कथन एवं प्रस्तुत किए गए मौखिक कथनों तथा किए गए लिखित कथनों के आधार पर प्रकरण की विषय–वस्तु यह है कि ''आवेदक के पावरलूम विद्युत कनैक्शन क्रमांक 70–11–3464905–37800680000 का खराब मीटर दिनांक 04.07.2018 को बदला गया था तथा निकाले गए खराब मीटर को दिनांक 02.02.2019 को प्रयोगशाला में जांच करवाए जाने पर मीटर तेज गति से चलना पाया गया था। इस आधार पर आवेदक ने पूर्व में माह जून 2018 के विद्युत बिल के पुनरीक्षण हेतु फोरम के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की थी। फोरम में यह प्रकरण क्रमांक WO 422518 पर दर्ज कर दिनांक 14.02.2019 को आदेश पारित किया गया जिसमें आवेदक के माह जून 2018 के बिल को नए मीटर की प्रथम 3 मासिक खपत के औसत के आधार पर पुनरीक्षित किए जाने एवं तत्संबंधी अधिभार हटाने बावत् निर्णय दिया गया।

उक्त निर्णय के बाद आवेदक द्वारा माह मई 2018 तथा जुलाई से अक्टोबर, 2018 के बिलों को संशोधित करने के लिए फोरम के समक्ष लिखित आवेदन से शिकायत प्रस्तुत की थी एवं शिकायत में उल्लेख किया था कि आवेदक ने इसके पूर्व जून, 2018 के बिल संशोधन संबंधी

शिकायत पेश की थी जिसमें नजर चूक एवं त्रुटिवश उक्त अवधि के बिलों की रिवाईज कराए जाने हेतु निवेदन नहीं किया गया था इसलिए पुनः शिकायत पेश की जा रही है। फोरम में यह शिकायत प्रकरण क्रमांक WO 433219 पर दर्ज की गई एवं प्रकरण में दिनांक 29.07.2019 को आदेश पारित किया गया, जिसमें निम्नानुसार निर्णय दिया गया हैः–

"अभिमत में किए गए उल्लेखानुसार, पूर्व में प्रस्तुत परिवाद के तहत विवेचना कर परिवादी के प्रकरण क्रमांक 4224/18 में माह जून 2018 की खपत 4187 यूनिट को संशोधित करने का फोरम के द्वारा आदेश दिनांक 14.02.2019 को पारित किया जा चुका है। उपरोक्त आदेश फोरम के द्वारा जारी करते समय परिवादी के द्वारा जो वर्तमान में बिलिंग संबंधी पुनरीक्षण चाहा गया है, को पूर्व में ही अवलोकन कर लिया गया था। अतः फोरम में विपक्ष के द्वारा कथन एवं दस्तावेज सहित जानकारी प्रस्तुत कर दिए जाने व आदेश पारित कर दिए जाने के उपरांत समान प्रकरण के पुनरावलोकन का अधिकार फोरम को नहीं है यदि परिवादी फोरम के निर्णय से असंतुष्ट है तो परिवादी के द्वारा लोकपाल भोपाल के समक्ष प्रकरण दर्ज करवाया जा सकता है अतः प्रकरण को यथा स्थिति में समाप्त किया जाता है।"

प्रकरण की विवेचना से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इन्दौर क्षेत्र का आवेदक के शिकायत पत्र जिसमें उनके द्वारा स्थापित मीटर परीक्षण में तेजी से चलना पाए जाने के फलस्वरूप माह मई 2018 के जारी बिल को संशोधित किए जाने की की गई मांग को इस आधार पर अस्वीकार किया जाना कि आवेदक की जून 2018 के बिल की संशोधित किए जाने की पूर्व शिकायत (प्रकरण क्र0 W0 422518) पर सुनवाई के दौरान ही इस मांग का अवलोकन कर लिया गया था तथा फोरम द्वारा प्राप्त अभिमत कि विपक्ष द्वारा कथन एवं दस्तावेज सहित जानकारी प्रस्तुत किए जाने व आदेश पारित किए जाने के उपरांत समान प्रकरण के अवलोकन का अधिकार फोरम को नहीं है, विधि अनुसार उचित नहीं पाया जाता है क्योंकि फोरम द्वारा प्रकरण क्रमांक W0 422518 में पारित आदेश दिनांक 14.02.2019 में माह मई 2018 के जारी बिल की समीक्षा/विवेचना संबंधी कोई उल्लेख नहीं किया गया है न ही इस आदेश में मई 2018 के बिल में किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं जाए जाने का कोई उल्लेख किया गया है।

वस्तुतः आवेदक द्वारा माह जून 2018 एवं माह मई 2018 के जारी बिलों में त्रुटिपूर्ण मीटर के कारण संशोधन किए जाने की मांग हेतु अलग–अलग शिकायत प्रस्तुत करते हुए प्रकरण दर्ज करवाया था, अतः फोरम को भी मई 2018 के बिल पुनरीक्षण की आवेदक की शिकायत पर दर्ज प्रकरण को बिना किसी निर्णय के समाप्त करने के स्थान पर निर्धारित प्रक्रिया अनुसार सुनवाई कर स्पष्ट आदेश पारित किया जाना चाहिए था।

उक्त निष्कर्ष के आधार पर यह न्यायोचित होगा कि विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इन्दौर के आदेश दिनांक 29.07.2019 को अपास्त करते हुए फोरम को आवेदक की शिकायत स्वीकार कर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए निर्णय पारित करें। अतः निर्देशित है कि विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इन्दौर उज्जै उक्त निष्कर्ष के आधार पर यह न्यायोचित होगा कि विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इन्दौर के आदेश दिनांक 29.07.2019 को अपास्त करते हुए फोरम को आवेदक की शिकायत स्वीकार कर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए निर्णय पारित करें।

08. प्रकरण में की गई विवेचना तथा प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर निर्णय लिया जाता है कि –

(i) विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इन्दौर उज्जैन क्षैत्र प्रकरण क्रमांक WO 433219 में प्राथमिकता पर आवेदक की शिकायत पर पुनः सुनवाई कर यथोचित निर्णय लेते हुए आदेश पारित करें।

(ii) उभय पक्ष अपना अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे।

09. इसके साथ ही प्रकरण निराकृत होकर समाप्त होता है। प्रकरण क्रमांक WO 433219 की मूल नस्ती के साथ विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम इन्दौर–उज्जैन क्षैत्र की ओर आदेश की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु पृथक से प्रेषित की जाए। अपीलार्थी आवेदक व अनावेदक को आदेश की निःशुल्क प्रति पृथक से प्रेषित की जाए।

विद्युत लोकपाल